वर्ष 4, अंक 76 रु. 1/-

राष्ट्र महिला

फरवरी 2006 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

उच्चतम न्यायालय द्वारा केन्द्र तथा राज्य सरकारों को दिया गया यह निर्देश कि, धर्म का विचार न कर, सभी विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण किए जाने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं में आवश्यक संशोधन करने हेतु तीन मास के अंदर कदम उठाए जायें सही दिशा में एक स्वागत योग्य आदेश है।

न्यायालय ने सरकारों से इस आदेश का व्यापक प्रचार करने का कहा है और इस मुद्दे पर जन आपत्तियों के लिए एक मास का समय दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि नये नियमों में यह प्रावधान भी किया जाये कि विवाह का पंजीकरण न कराने अथवा पंजीकरण कराते समय गलत सूचना देने के क्या परिणाम भुगतने होंगे। नियमों में इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट रूप से एक अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान होना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय ने भलीभांति समझ लिया है कि यह सरल प्रक्रिया देश में महिलाओं के सम्पत्ति अधिकारों का हनन रोकने में सहायक सिद्ध होगी। बाल विवाह, द्विविवाह और महिलाओं के अनैतिक व्यापार जैसी धड़ल्ले से चल रही सामाजिक कुरीतियों को नियंत्रित करने में विवाह का सबूत बहुत काम आयेगा।

न्यायालय ने राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा विवाहों के अनिवार्य पंजीकरण पर तैयार किए गए एक विधेयक के प्रारूप पर तथा उसके इस मत पर कि राज्यों के वर्तमान कानूनों की कमियों को दूर करने के लिए विवाहों के पंजीकरण पर एक केन्द्रीय कानून बनाया जाये, विचार करने के बाद अपना निर्णय दिया।

चर्चा में — विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण

इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि भारत में होने वाले बहुतेरे विवाहों में विद्यमान कानूनों का उल्लंघन होता है। बाल विवाह निषेध कानून के अंतर्गत, अल्पायु के विवाह दंडनीय हैं, परन्तु इसके बावजूद भी मुख्यतः राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ऐसे विवाहों को सामाजिक मान्यता प्राप्त है और बड़ी संख्या में तथा खुले रूप से इनका आयोजन किया जाता है।

विवाह का सबूत न होने के कारण, द्विविवाह एवं अनैतिक व्यापार के मामले में शिकायतकर्ता पत्नी के लिए अपनी वैवाहिक स्थिति सिद्ध करना कठिन हो जाता है। इस खामी का प्रयोग विवाह को नकारने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है और इस प्रकार महिला को भरण-पोषण देने या पति की सम्पत्ति में उत्तराधिकार पाने से वंचित रखा जाता है। महिला-पुरुष की समानता का लक्ष्य इस देश में प्राप्त करना अभी दूर की बात है, किन्तु महिलाओं का सशक्तिकरण करने और उन्हें अपने अधिकार मांगने में सहायता करने में विवाहों का पंजीकरण जैसे कदम काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे।

ईसाइयों तथा पारसियों के वैयक्तिक कानूनों में विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य है, जबकि मुस्लिम वैयक्तिक कानून के अंतर्गत विवाह को *निकाहनामा* में, जो एक प्रकार का संविदा है, दर्ज किया जाता है और दम्पत्ति को दे दिया जाता है। इसलिए हिन्दू विवाह अधिनियम में भी संशोधन करके इस प्रकार का प्रावधान शामिल किए जाने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के चार राज्यों में ऐसा विधान बनाया जा चुका है। अब केन्द्र को इस बारे में समरूप नियम बनाने चाहिए।

टी-शर्ट विवाद पर आयोग ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को पत्र लिखा

जीन्स तथा टी-शर्ट पहनने पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की एक छात्रा को वहीं के दो विद्यार्थियों द्वारा उत्पीड़ित किए जाने के समाचार को गंभीर रूप से लेते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने विश्वविद्यालय के उप-कुलपति से इस घटना की रिपोर्ट मांगी है।

उप-कुलपति से विशिष्ट रूप से पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा मामले में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संबंध में दिए गये मार्गनिर्देशों के अनुसरण में, विश्वविद्यालय ने यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए कोई शिकायत समिति स्थापित की है या नहीं।

उच्चतम न्यायालय के मार्गनिर्देशों को क्रियान्वित करने तथा शिकायत समिति की स्थापना किए जाने के संबंध में रिपोर्ट भेजने के लिए आयोग देश के सभी विश्वविद्यालयों को लिख रहा है।

विशाखा मामले में दिए गये निर्णय में कहा गया है कि हर कार्यस्थल पर एक शिकायत समिति की स्थापना की जाये जिसकी अध्यक्ष एक महिला हो और कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं हों और जिसमें एक तीसरे पक्ष का प्रतिनिधित्व भी हो।

राष्ट्रीय महिला आयोग की महिला सशक्तिकरण योजना का रुख गावों की ओर

राष्ट्रीय महिला आयोग ने गांवों में महिलाओं का सशक्तिकरण करने के उद्देश्य से हाल ही में एक महत्वाकांक्षी अभियान "चलो गांव की ओर" का सभारंभ किया।

आयोग के स्थापना दिवस पर प्रारंभ किये गये इस अभियान का उद्घाटन केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने किया। सर्वप्रथम, यह अभियान पंजाब, दिल्ली और हरियाणा के राज्यों में चलाया जायेगा जहां इसका प्रमुख लक्ष्य नारी भ्रूणहत्या की समस्या पर, जिसके फलस्वरूप पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम हो रही है, ध्यान केन्द्रित करना होगा।

इस अवसर पर बोलते हुए, श्री अर्जुन सिंह ने कहा कि "आजादी के बाद बनाई गयी सभी योजनाएं ग्राम-उन्मुख थीं, किन्तु बीच में कहीं हम मार्ग से भटक गये। हमने यह धारणा बना ली कि गांवों की अमुक स्थिति है, किन्तु वास्तविकता नहीं समझ पाये।"

आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास श्रोतागणों को संबोधित करते हुए

जन्म-पूर्व लिंग निर्धारण परीक्षण पर आयोग द्वारा निकाली गयी पुस्तक का विमोचन करते हुए श्री अर्जुन सिंह। साथ में सुश्री रेनुका चौधरी, डॉ. गिरिजा व्यास, श्री मनी शंकर अय्यर, डॉ. सयीदा अहमद

अभियान में शामिल किया जाये क्योंकि इससे अभियान की सफलता सुनिश्चित होगी।

अपने प्रारंभिक संबोधन में, आयोग की अध्यक्षा सुश्री गिरिजा व्यास ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में इस अभियान की शुरूआत करने का कारण यह है कि इन राज्यों में पुरुष-महिला अनुपात की गिरावट बहुत अधिक है।

श्री अर्जुन सिंह ने यह भी कहा कि देश के विकास में महिलाओं की भूमिका अहम है और तृणमूल स्तर पर उनका सशक्तिकरण करने का आह्वान किया। "यह उत्तरदायित्व केवल आयोग का न होकर हम सभी का है कि इस अभियान की सफलता आश्वस्त करें।"

महिला एवं बाल कल्याण मंत्री सुश्री रेनुका चौधरी ने कहा कि इस अभियान से गांव की महिलाएं एच.आई.वी./एड्स तथा वित्तीय योजनाओं से अवगत होंगी और यह जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगी कि कानूनी सहायता एवं पुलिस सहायता किस प्रकार ली जाये।

केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री श्री मनी शंकर अय्यर ने कहा कि पंचायती राज की बारह लाख महिला प्रतिनिधियों को इस

श्रोतागण

महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक को दलित महिला संबोधित करेगी

गिरिजा देवी, 59 वर्षीय दलित मुशार महिला, जो बिहार के पूर्वी चंपारन जिले के मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित भिर्खिया-चिपुलिया गांव की रहने वाली है, न्यूयार्क जायेगी जहां वह इस मास के अंत में होने वाली 'संयुक्त राष्ट्र महिला अनुभाग एवं आर्थिक तथा सामाजिक विभाग' के 15वें सत्र को संबोधित करेगी- और वह भी भोजपुरी भाषा में।

चार बच्चों की माँ गिरिजा देवी को यह आमंत्रण 'एक्शन एड' नामक एक गैर सरकारी संगठन ने प्रेषित किया। छः वर्ष पूर्व गठित अपने मुशार विकास मंच द्वारा वह इस संगठन के निकट सहयोग में नशाबंदी अभियान चला रही थी।

गिरिजा देवी और उसके मुशार विकास संगठन के लाठी-धारक सदस्य भिर्खिया-चिपुलिया के इर्द-गिर्द शराब की दुकानों पर धावा बोलते थे और यदि कोई व्यक्ति शराब पीता हुआ पकड़ा जाता था तो उसका सर मुंड़ा कर उसे जूतों की माला पहनाते थे।

क्या आप जानते हैं?

राजधानी दिल्ली में 15 दिसम्बर, 2005 तक 633 बलात्कार हुए। यह संख्या वर्ष 2004 की तुलना में 100 अधिक है और किसी भी भारतीय महानगर की अब तक की किसी भी वर्ष की सर्वाधिक संख्या है।

मुम्बई का नम्बर इसके बाद आता है, जहां 30 नवम्बर, 2005 तक बलात्कार के 181 मामले हुए। वर्ष के दौरान सामूहिक बलात्कार के 34 मामले दिल्ली पुलिस में दर्ज किए गये। गत वर्ष ऐसे मामलों की संख्या 21 थी।

वास्तव में, 2001 से दिल्ली में बलात्कार की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। उस वर्ष बलात्कार के 401 मामले दर्ज हुये थे जबकि वर्ष 2002 में 403, 2003 में 490 और 2004 में 551 मामले दर्ज किए गये। यह संख्या 2005 में 633 पर पहुंच कर अब तक की सबसे अधिक संख्या हो गयी।

सदस्यों के दौरे

- सदस्या मालिनी भट्टाचार्य ने हुगली जिले में खनाकुल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित माताओं की बैठक में भाग लिया। इसके बाद, स्थानीय लोगों द्वारा आयोजित एक कानूनी जागरुकता शिविर में उन्होंने दहेज निषेध अधिनियम तथा घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम पर भाषण दिया। वह उत्तरी 24 परगना के उत्तर बेना जिले में भी गयीं जहां सीमा सुरक्षा बल के जवानों के अत्याचार की शिकार जयंती दास बाला प्रेसीडेंसी जेल से रिहाई के बाद अपने भाई के साथ रह रही थी। तत्पश्चात्, राष्ट्रीय महिला आयोग तथा पश्चिम बंगाल राज्य महिला आयोग की एक संयुक्त सुनवाई में यह निर्णय लिया गया कि उसकी सुरक्षा के लिए उसे अखिल बंगाल महिला संघ में पनाह देने का प्रस्ताव किया जायेगा।

  सुश्री भट्टाचार्य ने असुरक्षित प्रवास तथा अनैतिक व्यापार पर 'संलाप' द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय (भारत-बंगलादेश) सेमिनार में भाग लिया और पश्चिम बंगाल राज्य महिला आयोग द्वारा अपने कार्यालय में आयोजित एक जन-सुनवाई में गयीं जहां चार खंडपीठों द्वारा 71 मामले हाथ में लिए गये।

  सुश्री भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल में आशा देवी का गुर्दा निकाले जाने के मामले में पूछताछ की और सुश्री संगीता के मामले की भी जांच-पड़ताल की। संगीता का आरोप था कि बिहार के केमूर जिले के भामुना पुलिस थाने में जब उसे रखा गया था तो पुलिस कर्मचारियों ने उसका यौन उत्पीड़न किया। नालंदा जिले में नूर सराय में उन्होंने एक कानूनी जागरुकता शिविर का उद्घाटन किया जिसमें 65 महिलाएं उपस्थित थीं।

  'नावो' द्वारा सीडो के क्रियान्वयन पर प्रशिक्षकों के लिए आयोजित कार्यशाला में उन्होंने भाग लिया। तत्पश्चात्, भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा 'वैश्वीकरण के युग में महिला रोजगार की समस्याएं' विषय पर आयोजित एक सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा ग्रामीण महिलाओं पर प्रायोजित एक जन सुनवाई में भी गयीं। वह बांकुरा भी गयीं जहां महिलाओं तथा मीडिया पर एक सर्वेक्षण किया जा रहा था।

- सदस्या सुशीला तिरिया ने आगरा में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 'घटता हुआ लिंग अनुपात' पर प्रायोजित एक राज्य स्तरीय कार्यशाला में भाग लिया। अपने भाषण में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नारी भ्रूण हत्या पर कानून बनाना ही काफी नहीं है, अपितु लोगों की मानसिकता बदलने तथा महिलाओं को उनके अधिकारों का ज्ञान करा कर उन्हें सशक्तिकृत करने की आवश्यकता है।

सुश्री सुशीला तिरिया 'घटता हुआ लिंग अनुपात' पर कार्यशला को संबोधित करती हुई

- सुश्री निर्मला वेंकटेश बोम्बानएली झोपडपट्टी की महिलाओं के निवेदन पर वहां गयीं और उनके साथ उनकी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। बाद में, उन्होंने उल्सूर के महिला पुलिस थाने का मुआयना किया। महिला पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उन्हें सौंपे गये मामलों की छानबीन करने में उन्हें किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने दलित महिला संगठन, कर्नाटक की एक बैठक में भी भाग लिया जिसमें दलित महिलाओं ने शिकायत की कि अगड़ी जाति के कर्मचारी उन्हें परेशान करते हैं। सुश्री वेंकटेश अनंतपुर गयीं और एवोइड विल्डरनेस एण्ड यीस्टेनर्स संगठन एवं अन्य महिला संगठनों के साथ बैठक की। बलात्कार पीड़ितों के पुनर्वास की एक बैठक में सदस्या ने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा बलात्कार पीड़ितों के पुनर्वास के जो मार्गनिर्देश केन्द्र सरकार को भेजे गये हैं उन पर केन्द्र शीघ्र अपनी सहमति देगा।

आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास 'महिला सहकारिता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका' पर एक रैली को संबोधित करने अजमेर गयीं।

रैली को संबोधित करती हुई डॉ. गिरिजा व्यास (नीचे) श्रोतागण

साहस का प्रतीक

बुलंदशहर की एक घटना में, जब दूल्हे एवं उसके माता-पिता ने विवाह के अवसर पर दहेज में एक एस्टीम कार की मांग की तो दुल्हन गोधूलिका ने उन्हें जेल भिजवा दिया।

जयमाला की रस्म के समय दूल्हे भावेश अग्रवाल, मैकेनिकल इंजीनियर, ने तब तक जयमाला डालने से इंकार कर दिया जब तक कि उसकी मांग पूरी नहीं हो जाती। दुल्हन के पिता द्वारा उसकी मांग स्वीकार कर लिए जाने के बाद ही उसने दुल्हन को जयमाला पहनाई।

किन्तु कुछ मिनट बाद ही दूल्हा पक्ष के लोगों ने कहा कि इस बात की गारंटी देने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए, जिस पर दुल्हन क्रोधित हो उठी। वह खड़ी हो गयी और दूल्हे से विवाह करने से इंकार कर दिया और अपने पिता से पुलिस बुलाने को कहा।

दुल्हन की शिकायत पर, कोतवाली पुलिस ने एफ.आई.आर. दर्ज की और भावेश, उसके पिता, बहनों, बहनोई एवं मामा को सलाखों के पीछे भेज दिया।

महत्वपूर्ण निर्णय

कार्यस्थल पर उत्पीड़न के संबंध में निर्देश

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने की दिशा में राज्य सरकारों द्वारा पर्याप्त कदम न उठाए जाने पर चिन्ता व्यक्त करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने इस बारे में कुछ अतिरिक्त निर्देश जारी किए हैं।

दो न्यायाधीशों की एक खंडपीठ ने राज्यों को निर्देश दिया कि इस संबंध में की गयी कार्यवाही को समन्वित करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाये। यह अधिकारी महिला एवं बाल कल्याण विभाग का सचिव अथवा कोई ऐसा अन्य उपयुक्त अधिकारी हो सकता है जो राज्य में महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण कार्य का प्रभारी हो।

खंडपीठ ने कहा कि प्रत्येक राज्य का मुख्य सचिव यह आश्वस्त करेगा कि ब्यौरा संकलित करने और जहां भी आवश्यक हो उपयुक्त निर्देश देने के लिए एक शीर्ष अधिकारी नियुक्त किया जाये।

पिता यदि जनजाति का नहीं है तो बच्चे को आरक्षण नहीं मिलेगा

उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि किसी जनजाति महिला का गैर-जनजाति पुरुष के साथ विवाह होने पर उनका बच्चा अनुसूचित जनजाति के दर्जे का दावा नहीं कर सकता। किन्तु जनजाति के पिता एवं गैर-जनजाति की माता के विवाह से उत्पन्न बच्चा अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाले लाभों का हकदार होगा।

उत्तरांचल में अब महिलाएं भी पटवारी बन सकती हैं

पहली बार, उत्तरांचल सरकार ने राज्य में महिलाओं के पटवारी बनने के दरवाजे खोल दिए हैं।

राज्य के पटवारी राजस्व पुलिस प्रणाली का एक भाग हैं जो गांवों तथा दूरदराज के क्षेत्रों में होने वाली अनियमितताओं पर नियंत्रण रखते हैं।

अधिक जानकारी के लिए देखें हमारी वेबसाइट : **www.ncw.nic.in**

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4 - दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। आकांक्षा इम्प्रेशन, न्यू रोहतक रोड, सराय रोहिल्ला, नई दिल्ली-110005 में मुद्रित। सम्पादक : गौरी सेन